DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, in rule 6, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted namely : -

"(3) Architect/ Structural Engineer duly registered by the Authority having jurisdiction may be authorised to issue the building permission on the plots measuring up to 300 sq. meter after getting approval of the Director, town and country planning :

Provided that such permission cannot be issued to the colonisers who intend to sale the plot/ building.

Provided further that the competent Authority shall not give the power to issue building permission to such Architect/Structural Engineer who does not fulfil the norms provided in rule 26-A and 26-B and do not possess minimum 10 years experience."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. 2016–1264–2019–पचास–2.– भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2020

अधिसूचना

मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 29 सन् 2018) की धारा 9 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में लाड़ली लक्ष्मी योजना को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) योजना नियम, 2020 है।

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.–

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 29 सन् 2018);

(ख) **"आंगनवाड़ी केन्द्र"** से अभिप्रेत है, किसी जिले के ग्राम अथवा वार्ड में अवस्थित समेकित बाल विकास परियोजना के अधीन संचालित केन्द्र, जहां बालिका को रजिस्ट्रीकृत किया गया है;

(ग) **"आंगनवाड़ी कार्यकर्ता"** से अभिप्रेत है, संबंधित आंगनवाड़ी केन्द्र में नियुक्त कोई व्यक्ति, जो ग्राम/वार्ड स्तर पर अपने सर्वेक्षण क्षेत्र में योजना का आवेदन प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु विभाग द्वारा अधिकृत किया गया हो;

(घ) **"प्राधिकृत अधिकारी"** से अभिप्रेत है, महिला एवं बाल विकास विभाग का जिला कार्यक्रम अधिकारी, जो हितग्राही बालिका के पक्ष में जमा एवं देय का राशि का लेखा–जोखा संधारित करेगा;

(ङ) **"सक्षम प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) में यथाविनिर्दिष्ट कोई प्राधिकृत अधिकारी, जो महिला एवं बाल विकास विभाग का बाल विकास परियोजना अधिकारी होगा;

(च) **"प्ररूप"** से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(छ) **"पंजीयन केन्द्र का भारसाधक अधिकारी"** से अभिप्रेत है, लोक सेवा गारंटी

अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) के अधीन लोक सेवा केन्द्र का भारसाधक अधिकारी या इस प्रयोजन के लिए हितग्राही का आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति ;

(ज) **"भारसाधक व्यक्ति"** से अभिप्रेत है, बाल देखरेख संस्थाओं के नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति ;

(झ) **"हितग्राहियों का रजिस्टर"** से अभिप्रेत है, हितग्राहियों का ऐसा रजिस्टर, जिसमें प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हितग्राहियों के नाम प्रारूप–तीन में पंजीकृत तथा संधारित किए जाते हैं;

(ञ) **"धारा"** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा;

(ट) **"पर्यवेक्षक"** से अभिप्रेत है, संबंधित आंगनवाड़ी केन्द्र का पर्यवेक्षण करने वाला व्यक्ति;

(ठ) **"योजना"** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ज) में यथा विनिर्दिष्ट लाड़ली लक्ष्मी योजना।

(2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उन्हें उनके लिए सम्यनुदेशित किए गए हैं।

3. **योजना की पात्रता.–** कोई बालिका, जो योजना के अधीन हितग्राही के रूप में पंजीकृत है या पंजीकृत की गई है, अधिनियम की धारा 5 में यथाविनिर्दिष्ट लाभों के लिए पात्र होगी।

4. **हितग्राही के रूप में पंजीकरण के लिए हकदार.–**

(1) ऐसे माता–पिता योजना में हितग्राही के रूप में अपनी बालिका का नाम पंजीकृत कराने के लिए पात्र होंगे, यदि –

(क) बालिका, जिसके माता–पिता मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए हकदार होगी;

(ख) रजिस्ट्रीकरण के समय माता–पिता आयकर दाता नहीं हैं :

परंतु यदि रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् या तो माता या पिता या दोनों आयकर दाता हो जाते हैं, तो भी बालिका योजना के अधीन निरंतर लाभ प्राप्त करती रहेगी;

(ग) प्रथम जन्मी बालिका योजना के लाभों की हकदार होगी, चाहे उसके माता–पिता ने नियोजन अपनाया हो अथवा नहीं, परंतु दूसरी बालिका के पंजीयन के लिए परिवार नियोजन अपनाए जाने की शर्त अनिवार्य होगी और प्रथम प्रसव में दो या दो से अधिक बालिकाओं के जन्म की दशा में, सभी बालिकाएं पात्र होंगी।

(घ) बालिका को नजदीकी आंगनवाड़ी केन्द्र में नामांकित किया जाना चाहिए।

(2) यदि हितग्राही देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाली सीएनसीपी बालिका है, तो हितग्राही के लिए कोई पूर्वोक्त शर्तें लागू नहीं होंगी।

(3) **विशेष प्रकरणों में हितग्राही पंजीकरण हेतु पात्रता.–**

(1) यदि किसी परिवार में अधिकतम दो बच्चे हैं और माता–पिता में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार नियोजन अपनाए जाने की शर्त लागू नहीं होगी, किन्तु मृतक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना एक पूर्व अपेक्षित कसौटी होगी। ऐसे प्रकरणों में, 05 वर्ष की उम्र होने तक योजना में बालिका का पंजीयन किया जा सकेगा।

(2) यदि किसी परिवार ने किसी बालिका को विधिक रूप से दत्तक लिया है तो बालिका प्रथम बालिका के रूप में योजना के लाभों की हकदार होगी, परंतु परिवार को, बालिका को दत्तक लेने या उत्तराधिकार के एक वर्ष के भीतर पंजीयन के लिए आवेदन करना चाहिए।

(3) यदि माता–पिता या उनमें से किसी ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से एक वर्ष के भीतर योजना के अधीन पंजीयन के लिए आवेदन नहीं किया है, तो ऐसे माता–पिता बालिका के जन्म से दो वर्ष के भीतर सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकेंगे। सक्षम प्राधिकारी ऐसे आवेदनों को प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर के समक्ष स्वीकृति अथवा अस्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगा।

(4) राज्य सरकार को कालातीत प्रकरणों को मंजूरी देने की शक्ति होगी।

(5) जहां एक बालक अथवा बालिका के पश्चात्, किसी परिवार में जुड़वा बालिकाएं जन्म लेती हैं, तो दोनों बालिकाएं योजना के अधीन लाभों के लिए पात्र होंगी।

(6) महिला कैदी, जो किसी भी कारण से जेल में परिरूद्ध है और बालिका को जेल में जन्म देती है, की बालिका भी योजना के अधीन लाभों की हकदार होगी।

(7) किसी बलात्संग पीड़िता द्वारा जन्मी बालिका भी योजना के अधीन लाभ के के लिए हकदार होगी।

5. पंजीयन हेतु आवेदन.–

(1) माता–पिता बालिका के जन्म अथवा दत्तक लिए जाने के एक वर्ष के भीतर पंजीयन केन्द्र के भारसाधक अधिकारी को प्रारूप–एक में, दो प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेंगे:

परंतु प्रारूप एक में आवेदन लोक सेवा केन्द्र पर या विभाग की लाड़ली लक्ष्मी योजना वेबसाइट (www.ladililaxmi.mp.gov.in) के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(2) योजना के अधीन आवेदन प्रस्तुत किए जाने समय निम्नलिखित जानकारी दिया जाना अपेक्षित होगा:–

(क) माता–पिता के मूल निवासी होने का प्रमाण;

(ख) बालिका का जन्म प्रमाण–पत्र;

(ग) दूसरे बच्चे की दशा में परिवार नियोजन अपनाए जाने का विश्वसनीय प्रमाण;

(घ) आंगनवाड़ी केन्द्र में नामांकन का प्रमाण;

(ड.) आयकरदाता न होने के संबंध में स्वयं का कथन;

(च) अनाथालय में निवास का प्रमाण;

(छ) दत्तक लेने वाले माता–पिता द्वारा दत्तक ली गई बालिका का प्रमाण।

(3) जेल या अनाथालय या बाल देखरेख संस्था के प्रभारी व्यक्ति को ऐसे जेल या बाल देखरेख संस्था में बालिका प्रवेश/भर्ती होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर किंतु उसके पांच वर्ष की आयु पूर्ण करने के पूर्व, हितग्राही बालिका के पंजीयन हेतु आवेदन करना होगा।

6. पंजीकरण प्रकिया.–

(1) आवेदन की प्राप्ति पर, केन्द्र का भारसाधक अधिकारी अथवा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आवेदन की अन्तर्वस्तुओं का सत्यापन करेगा, उसे पंजी में दर्ज करेगा तथा अनुक्रमांक प्रदान करेगा और दूसरी प्रति माता–पिता को वापस की जाएगी। उसके पश्चात् वह उसे आश्वासन प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(2) आवेदन की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी या तो प्रारूप–दो में आश्वासन प्रमाण–पत्र जारी करेगा अथवा आवेदन को लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों सहित निरस्त करेगा और बालिका के माता–पिता को सूचित करेगा। सक्षम प्राधिकारी, आवेदन का निपटारा उसे प्रस्तुत किए जाने की तारीख से एक माह के भीतर करेगा।

सक्षम प्राधिकारी, आश्वासन प्रमाण–पत्र जारी करने की संख्या तथा पर्याप्त कारणों से उसके द्वारा नामंजूर किए गए आवेदनों की संख्या अन्तर्विष्ट करते हुए प्राधिकृत अधिकारी को दो माह की कालावधि के भीतर प्रारूप दो (क) में अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगा।

(3) आश्वासन प्रमाण–पत्र जारी किए जाने के पश्चात्, सरकार की ओर से ऐसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तीस हजार रूपए की राशि जमा की जाएगी जो महिला बाल विकास द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा। ऐसा अधिकारी समुचित लेखा संधारित करेगा और इसकी रिपोर्ट प्रत्येक कलेक्टर के माध्यम से आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग को भेजी जाएगी।

(4) हितग्राहियों का रजिस्टर संधारित किया जाएगा और प्रारूप–तीन में दिए गए प्रपत्र में प्राधिकृत अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा। इसके अलावा, इस संबंध में जानकारी योजना की वेबसाइट www.ladlilaxmi.mp.gov.in पर भी संधारित की जाएगी।

7. अपील.–

(1) यदि आवेदन निरस्त कर दिया जाता है अथवा समय–सीमा में नहीं किया जाता है, तो निम्नानुसार अपील प्रस्तुत की जा सकेगी–

1. प्रथम अपील – जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, प्रथम अपील अधिकारी होगा। अपील निराकृत करने के लिए समय–सीमा 15 कार्य दिवस होगी।
2. द्वितीय अपील– प्रथम अपीली अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

8. पंजीकरण निरस्त किया जाना.–

(1) योजना में पंजीयन के उपरांत यदि आवेदन में की अंतर्वस्तुएं जांच में असत्य या गलत पाई जाती हैं तो ऐसे पंजीयन को सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकेगा तथा निरस्तीकरण के पश्चात् समस्त लाभ सरकार को समपहृत हो गये, समझे जाएंगे। परन्तु पंजीयन निरस्त करने के पूर्व आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाना आवश्यक होगा।

(2) पंजीकृत बालिका का बाल विवाह होने पर योजना में पंजीकरण स्वमेव निरस्त माना जाएगा तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अधीन कार्रवाई की जा सकेगी।

(3) पंजीकृत बालिका की मृत्यु होने पर समस्त लाभ राज्य सरकार को अंतरित हो गए समझे जाएंगे।

(4) बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत् ऐसी बालिकाएं जो लाड़ली लक्ष्मी योजना के अधीन पंजीकृत हैं, का दत्तक ग्रहण के विदेश अथवा मध्यप्रदेश से बाहर अन्य प्रदेशों के मूल निवासी अभिभावकों द्वारा किया जाता है, जो इन बालिकाओं का लाड़ली लक्ष्मी योजना में पंजीयन न्यायालय के आदेश की तारीख से 2 वर्ष के पश्चात् निरस्त किया जाएगा। परंतु प्रदेश के मूल निवासी परिवार द्वारा दत्तक ली गई बालिकाओं को योजना का लाभ जारी रहेगा।

(5) निरस्त प्रकरणों संबंधित समस्त दस्तावेज योजना के पोर्टल http.//ladlilaxmi.mp.gov.in पर संधारित किए जाएंगे।

9. लाभों की हकदारी.–

(1) योजना के अधीन पंजीकृत प्रत्येक बालिका रूपए 1,18,000/– (एक लाख अठारह हजार रूपए) मात्र की राशि की निम्नानुसार हकदार होगीः–

(एक) कक्षा 6वीं में प्रवेश लेने के समय रूपए 2000/–(दो हजार रूपए) मात्र

(दो) कक्षा 9वीं मे प्रवेश लेने के समय रूपए 4000/–(चार हजार रूपए) मात्र

(तीन) कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने के समय रूपए 6000/–(छह हजार रूपए) मात्र

(चार) कक्षा 12वीं में प्रवेश लेने के समय रूपए 6000/–(छह हजार रूपए) मात्र

(पांच) 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर रूपए 1,00,000/–(एक लाख रूपए) मात्रः

परंतु खण्ड एक से चार के अधीन लाभ प्राप्त करते समय पूर्व कक्षा की अंक–सूची के साथ अध्ययनस्त् कक्षा में बालिका के प्रवेश की जानकारी आवश्यक रूप से संगृहीत प्रस्तुत की जाएगी :

परंतु यह और कि खण्ड पांच के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए बालिका को कक्षा 12वीं की परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, तथा 12वीं की अंकसूची प्रस्तुत की जाना होगीः

परंतु यह और भी कि विवाहित हितग्राही की दशा में विवाह रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) योजना के लिए भुगतान मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना फंड बजट, जैसा कि महिला और बाल विकास विभाग द्वारा हितग्राही के लिए अलग से रखा गया है में किया जाएगा।

(3) आश्वासन प्रमाण पत्र में कथित राशि ई–भुगतान के माध्यम से केवल हितग्राही के खाते में भुगतान की जाएगी।

(4) यदि बालिका विहित पात्रता शर्त पूरा नहीं करती है या उसकी मृत्यु हो गई हो, तो समस्त लाभ राज्य सरकार को समपहृत हो गए समझे जाएंगे।

(5) अधिनियम की धारा 5 की उप–धारा (2) के अधीन हितग्राही को प्रोद्भूत धन संबंधी लाभ स्थायी प्रकृति के होंगे और उन्हें वसूल नहीं किया जाएगा, परंतु अंतिम लाभ अधिनियम में विनिर्दिष्ट बालिका की पात्रता पर आधारित होगा।

(6) इस योजना के अधीन, हितग्राही की माता संरक्षक होगी और माता की मृत्यु की दशा में, पिता संरक्षक होगा और यदि माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो उसका विधिक संरक्षक कलेक्टर द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जो डिप्टी कलेक्टर या जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा और अनाथालय अथवा बाल देखरेख संस्था की दशा में, अधीक्षक, विधिक संरक्षक होगा, जहां उस अनाथ बालिका को प्रवेश दिया गया है।

(7) पात्र अभ्यर्थियों को विभिन्न रोजगार मूलक योजनाओं तथा राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

10. लाड़ली लक्ष्मी योजना निधि का संधारण.–

(1) राज्य सरकार एक निधि गठित तथा संधारित करेगी, जो कि मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना निधि के रूप में जानी जाएगी, जो हितग्राही को धन संबंधी लाभ संवितरित करने के लिए उपयोग की जाएगी।

(2) निधि का गठन निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा.–

(एक) प्रत्येक हितग्राही के लिए उसके पंजीयन के पश्चात निधि में राज्य शासन की ओर से, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राशि रूपए 30,000/– (तीस हजार रूपए) की राशि जमा की जाएगी ; तथा

(दो) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जमा की गई, डाक विभाग द्वारा जारी, राष्ट्रीय बचत पत्र की ब्याज सहित परिपक्व राशि, यदि कोई हो;

(तीन) इसके आलावा, हितग्राहियों के दावों का निपटारा करने हेतु निधि में आवश्यकता होने पर राशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी तथा निधि में अंतरित की जाएगी।

(3) प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास की अध्यक्षता में गठित स्थायी समिति में सचिव, वित्त विभाग तथा संचालक, संस्थागत वित्त सदस्य होंगे। समिति में आयुक्त, महिला एवं बाल विकास सदस्य सचिव होंगे। फंड (निधि) की समीक्षा करने के लिए समिति सम्मिलन का संचालन करेगी।

11. हितग्राहियों के अभिलेख का संधारण.–

(1) योजना के अधीन हितग्राहियों से संबंधित एक रजिस्टर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उचित रूप से संधारित किया जाएगा और इस हेतु तैयार किए गए रजिस्टर में

हितग्राहियों के समुचित अभिलेख रखे जाएंगे। इसके अलावा, समस्त दस्तावेज योजना के पोर्टल www.ladlilaxmi.mp.gov.in पर संधारित किए जाएंगे।

(2) जब कभी हितग्राही को कोई आश्वासन प्रमाण–पत्र जारी किया जाए, तो उसके ब्यौरे दर्ज किए जाएंगे और आश्वासन प्रमाण–पत्र की दूसरी प्रति प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएगी। आश्वासन प्रमाण पत्र योजना के पोर्टल www.ladlilaxmi.mp.gov.in से डाऊनलोड किया जा सकता है।

(3) प्रत्येक हितग्राही को योजना के पोर्टल www.ladlilaxmi.mp.gov.in से एक नामांकन क्रमांक प्रदान किया जाएगा और उसकी प्रविष्टि इस प्रयोजन हेतु रखे गए रजिस्टर में की जाएगी।

(4) जब कभी भी हितग्राही को कोई भुगतान किया जाए, उसकी प्रविष्टि रजिस्टर तथा योजना पोर्टल www.ladlilaxmi.mp.gov.in में हितग्राही के नाम के सामने उस तारीख के साथ अभिलिखित की जानी चाहिए, जिसको कि ई–पेमेंट के द्वारा रकम संदत्त की गई है।

12. अनुश्रवण (मॉनिटरिंग) तथा मूल्यांकन.–

(1) जिला स्तर पर.–

(क) प्राधिकृत अधिकारी (जिला कार्यक्रम अधिकारी), महिला एवं बाल विकास विभाग अनुश्रवण (मॉनिटरिंग) के लिए उत्तरदायी होगा। यदि आवश्यक हो तो, वह योजना के अधीन ऐसे सभी मामलों का मूल्यांकन भी करेगा, जो कि सक्षम प्राधिकारी (बाल विकास परियोजना अधिकारी) द्वारा विनिश्चिय किए गए हों तथा वह कलेक्टर को समय–समय पर, रिपोर्ट भी प्रेषित करेगा।

(ख) महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् कलेक्टर, रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी योजना के संबंध में कठिनाइयों सुझावों एवं अनुशंसाओं (यदि कोई हों) को आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग को रिपोर्ट करेंगे।

(ग) अधिनियम की धारा 8 के अधीन जिला स्तर पर हितग्राही के पंजीयन/लाभ के संबंध में यदि कोई विवाद उद्भूत होता है तो जिला कलेक्टर का विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) संभाग स्तर पर.–

संभागीय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग अपने अधीनस्थ जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के समय–समय पर संचालित निरीक्षणों में योजना संबंधी अभिलेखों का अवलोकरन करेंगे। साथ ही वह योजना क्रियान्वयन तथा अभिलेख संधारण के संबंध में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई हेतु निर्देश दे सकेंगे।

(3) राज्य स्तर पर.–

(क) यदि योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कोई विसंगति पाई जाती है, तो विसंगति दूर करने के लिए विभाग का प्रमुख राज्य सरकार को अपनी अनुशंसा भेजेगा।

(ख) राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन में किसी विवाद या विसंगति के उद्भूत होने की दशा में विभाग प्रमुख, महिला एवं बाल विकास विभाग का विनिश्चिय अंतिम होगा।

13. राज्य सरकार द्वारा निदेश.–

(1) राज्य सरकार, अधिनियम तथा नियमों के अधीन बनाई गई योजना के समुचित क्रियान्वयन के लिए समय–समय पर ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी, जैसे कि वह उचित समझे।

(2) योजना के अधीन हितग्राही के रूप में 1 अप्रैल, 2007 से इस अधिनियम के प्रारंभ होने की कालावधि के दौरान पंजीकृत समस्त बालिकाओं के लिए वर्षानुवर्ष बजट में उपबंध करके निधि पृथक् रूप से रखी जाएगी।

14. कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण.–

समस्त कार्यवाहियां, जो 01 अप्रैल, 2007 से शुरू होकर इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रारंभ होने तक वर्तमान में प्रचलित राज्य सरकार की मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना से संबंधित प्रशासनिक आदेशों के अधीन हैं, अधिनियम के उपबंधों के अधीन विधिमान्य समझी जाएंगी :

परंतु इन नियमों की अधिसूचना के पूर्व लाड़ली लक्ष्मी योजना के अधीन की गई कोई कार्रवाई या जारी किया गया कोई आदेश, जहां तक कि वह अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से असंगत नहीं है, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गई है या जारी किया गया है।

15. अधिनियम तथा नियमों का अपालन .–

यदि कोई अधिकारी/संस्था या सांविधिक निकाय आदि जो पंजीयन और योजना के धनीय तथा अन्य लाभ प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो राज्य सरकार, यथोचित जांच के पश्चात् ऐसे अधिकारी/संस्था या सांविधिक निकाय आदि, जो अधिनियम के अधीन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है या जिसके बारे में उपेक्षा किया जाना पाया जाता है, के विरूद्व कार्रवाई कर सकेगी।

16. सूचना, शिक्षाा एवं संचार.–

जन समुदाय के सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन के लिए निश्चित अन्तराल पर नुक्कड़ नाटक, नारे लेखन, ब्रोशर, पोस्टर, इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के माध्यम से राज्य शासन द्वारा, अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति की जाएगी।

17. बालिका की सहमति पर, उसे स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा जा सके। इसके लिए लाड़ली लक्ष्मी योजना के हितग्राही द्वारा 21 वर्ष में प्राप्त की जाने वाली राशि का उपयोग आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं या बैंक लोन में मार्जिन मनी के रूप में उपयोग किया जा सकता है। आर्थिक रूप से सशक्त योजना के अधीन पंजीकृत बालिका को आर्थिक बोझ समझने की मानसिकता एवं दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए समाज के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर सकेगी। लाड़ली लक्ष्मी योजना का मूल उददेश्य बालिका को पढ़ने के समान अवसर प्रदान करना तथा आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

18. सामाजिक अंकेक्षण.–

अधिनियम के अधीन वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार स्थानीय निकाय एवं सामाजिक संगठनों के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण का कार्य कराएगी।

सामाजिक अंकेक्षण निम्नलिखित बिन्दुओं से मिलकर बनेगा:–

1. लाड़ली लक्ष्मी योजना से समाज में बेटियों के प्रति मानसिकता में परिवर्तन।
2. लिंगानुपात में बढ़ोत्तरी।
3. परिवार द्वारा परिवार नियोजन अपनाना।
4. कन्या भ्रूण हत्या एवं बालिका के जन्म के पश्चात् हत्या को समाप्त करना।
5. बालिकाओं के शालाा नामांकन अनुपात को बढ़ाना।
6. उच्च एवं व्यवसायिक शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन को बढ़ाना।
7. दहेज प्रथा की समप्ति।
8. बालिकाओं का आर्थिक संशक्तिकरण, अर्थात् कार्यबल में भागीदारी को बढ़ाना।